न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 48/2015 (डूंगरपुर डिक्री)

1. श्रीमती तुलसीदेवी पत्नी स्वर्गीय अमरचन्द सेवक, निवासी दामडी, तहसील एवं जिला डूंगरपुर (राज.)
2. श्रीमती पुष्पा पुत्री स्वर्गीय अमरचन्द सेवक, निवासी दामडी हाल अपने पति श्री यशवन्त सेवक, निवासी देवसोमनाथ, जिला डूंगरपुर (राज.)
3. पंकज उर्फ प्रशान्त पिता स्वर्गीय अमरचन्द सेवक, निवासी दामडी, तहसील एवं जिला डूंगरपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमती रूकमणी पुत्री मोतीलाल सेवक, निवासी दामडी हाल निवास विकास नगर, डूंगरपुर (राज.)
2. श्रीमती तुलसीबाई पुत्री देवराम सेवक, निवासी दामडी हाल अपने पति रतनलाल सेवक (मृतक) के बजाय :–

2/1. हिरालाल पिता रतनलाल सेवक, निवासी केशरियाजी, तहसील केशरियाजी, जिला उदयपुर (राज.)

2/2. नारायणलाल पिता रतनलाल सेवक, निवासी देवला, तहसील व जिला उदयपुर (राज.)

2/3. बाबूलाल पिता रतनलाल सेवक, निवासी देवसोमनाथ, तहसील व जिला उदयपुर (राज.)

2/4. प्रकाश पिता रतनलाल सेवक, निवासी मुम्बई, बोरीवली वेस्ट, गेलेक्सी अपार्टमेन्ट, महाराष्ट्र

2/5. शान्तिलाल पिता रतनलाल सेवक, निवासी मुम्बई, बोरीवली वेस्ट, गेलेक्सी अपार्टमेन्ट, महाराष्ट्र (मृतक) के बजाय :–

2/5/1. श्रीमती लक्ष्मी पत्नी स्व॰ शान्तिलाल सेवक, निवासी मुम्बई (महाराष्ट्र)

2/5/2. नेहा पुत्री स्वर्गीय शान्तिलाल सेवक, निवासी मुम्बई (महाराष्ट्र)

2/5/3. प्राची पुत्री स्वर्गीय शान्तिलाल सेवक, नाबालिग वली माता श्रीमती लक्ष्मी पत्नी स्वर्गीय शान्तिलाल सेवक, निवासी मुम्बई (महाराष्ट्र)

2/5/4. प्रन्सुल पुत्र स्वर्गीय शान्तिलाल सेवक, नाबालिग वली माता श्रीमती लक्ष्मी पत्नी स्वर्गीय शान्तिलाल सेवक, निवासी मुम्बई (महाराष्ट्र)

2/6. रमेश पिता रतनलाल सेवक, निवासी माण्डव, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

2/7. श्रीमती कमला पत्नी मणीलाल सेवक, निवासी केशरियाजी, तहसील केशरियाजी, जिला उदयपुर (राज.)

3. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, डूंगरपुर (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर
दिनांक 25.04.2012, प्र.सं. 95/2008

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री हितेष भण्डारी अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री ए.एल. पांचाल अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टगण

———::———

निर्णय **दिनांक 10–02–2020**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 एक ही परिवार के सदस्य होकर ग्राम दामडी के निवासी हैं, जिनके सिरकती खाते की ग्राम दामडी में खतौनी संख्या 337 के कुल खसरा 7 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा व खतौनी संख्या 8 के कुल खसरा 9 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा व नया गांव दामडी के खाता संख्या 64 के कुल किता 2 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि है। विवादित भूमियों में वादिया का 1/3 हिस्सा हैं। अतः विवादित भूमियों का विधिवत विभाजन कराया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

उक्त वाद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद दिनांक 23–03–2011 को प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की तथा प्राप्त विभाजन प्रस्तुत के आधार पर दिनांक 25–02–2014 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में वादी द्वारा उक्त निर्णय व अंतिम डिक्री के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील दिनांक 18–12–2015 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री ए. एल. उपस्थित हुए।

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 औपचारिक पक्षकार की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। रेस्पोन्डेन्ट/वादिया की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गयी, जो पत्रावली के रेकार्ड पर है।

वकील अपीलान्ट द्वारा दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन सशपथ प्रस्तुत किया गया, जिसे न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों का विवेचन नहीं किया है तथा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में बंटवाड़ा स्कीम तैयार करने में पक्षकारों की सहमति नहीं ली गयी है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अपनी लिखित बहस में अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि अनुसार होना बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि पर्चा मौका पक्षकारान की उपस्थिति में बनाया जाकर बंटवारानामा पढ़कर सुनाया गया है तथा मौतबीरान के हस्ताक्षर कराये गये हैं। यदि अपीलान्टगण को उक्त फर्द बंटवाड़े पर किसी प्रकार की आपत्ति थी, तो उन्हें प्रस्तुत करनी चाहिए थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर जो अंतिम डिक्री जारी की गयी है, उसमें हम प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 25–04–2012 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 10–02–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

श्रीमती तुलसीदेवी पत्नी स्व.अमरचन्द सेवक, निवासी दामडी, तहसील व जिला डूंगरपुर व अन्य बनाम **श्रीमती रूकमणी पुत्री मोतीलाल सेवक, निवासी दामडी, तहसील व जिला डूंगरपुर व अन्य**

अपील नं०.....**48 / 2015**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
..... **डूंगरपुर** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....25**.....माह.....**04**.....**2012**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**10**....माह.....**02**.....सन् **2020** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री हितेष भण्डारी**....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री ए. एल. पांचाल**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 25–04–2012 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**10**.....माह.....**02**.....**2020** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.03.02 14:25:28 IST
Reason: SelfAttested
Location: